

प्रारूप 20

[नियम 47 देखिए]

किसी मीटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(यदि यान अवक्रय/पट्टे/आडमान के किसी करार के अधीन लिया जाता है तो दो प्रतियों में किया जाएगा और दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण पर वित्तपोषक को उसी समय लौटा दी जाएगी)—

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

.....

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला व्यक्ति का नाम पिता/पति का नाम
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु
3. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का स्थायी पता (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए)
4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति का अस्थायी पता
5. व्यौहारी या विनिर्माता का नाम और पता, जिससे यान का क्रय किया गया था (विक्रय प्रमाणपत्र तथा विनिर्माता द्वारा जारी किया गया सड़क पर चलने योग्य होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए)
6. यदि सेना का पुराना यान या आयातित यान है तो तो सबूत संलग्न करें। यदि स्थानीय रूप में विनिर्मित ट्रेलर/अर्ध ट्रेलर है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाइन संलग्न करें और कार्यवाही संख्यांक और अनुमोदन की तारीख नोट करें
7. यदि यान का वर्ग (यदि मोटर साईकिल है तो गियर वाली है या बिना गियर की है)
8. मोटर यान—
(क) नया यान है:
- (ब) सेना का पुराना यान है:
- (ग) आयातित यान है:
9. बॉडी की किस्म
10. यान की किस्म
11. निर्माता का नाम :
12. विनिर्माण का मास और वर्ष
13. सिलेंडरों की संख्या
14. अश्व शक्ति
15. घन धारिता
16. निर्माता का वर्गीकरण या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस
17. चैसिस सं० (पेंसिल प्रिंट लगाएँ)

18. इंजन सं०
19. बैठने के स्थान (चालक सहित)
20. इंजन में उपयोग किया जाने वाला ईंधन
21. लदान रहित भार:
22. पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक : (यदि कोई हो)
23. बाड़ी विंग तथा अग्र सिरों का रंग/के रंग

मैं घोषणा करता हूँ कि यान का भारत में किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है। अतिरिक्त विशिष्टियाँ, जो मोटर टैक्सी से भिन्न परिवहन यान की दशा में ही भरी जानी है :

24. टायरों की संख्या, वर्णन और आकार :
 (क) अगली धुरी :
- (ख) पिछली धुरी :
- (ग) कोई अन्य धुरी :
- (घ) टेंडेम धुरी :
25. सकल यान भार :
 (क) जो विनिर्माता द्वारा प्रमाणित है कि० ग्रा०
 (ख) रजिस्टर किया जाने वाला कि० ग्रा०
26. अधिकतम धुरी भार:
 (क) अगली धुरी कि० ग्रा०
 (ख) पिछली धुरी कि० ग्रा०
 (ग) कोई अन्य धुरी कि० ग्रा०
 (घ) टेडम धुरी कि० ग्रा०
27. (क) समग्र लंबाई
 (ख) समग्र चौड़ाई
 (ग) समग्र ऊँचाई
 (घ) प्रलंबन

उपरोक्त विशिष्टियाँ, दृढ़ ढाँचे वाले ऐसे मोटर यान के लिए जो दो या दो से अधिक धुरी वाला है, युग्मित यान के लिए जो तीन या तीन से अधिक धुरी वाला है या जहाँ तक लागू हो, ट्रेलर के लिए भरी जाएंगी। जहाँ किसी संलग्न मोटर यान के साथ दूसरा अर्ध ट्रेलर या अतिरिक्त अर्ध ट्रेलर रजिस्टर किए जाने हैं वहाँ ऐसे प्रत्येक अर्ध ट्रेलर के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएँगी।

28. बाड़ी की किस्म
29. लदान रहित भार
30. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या, वर्णन और आकार
31. प्रत्येक धुरी की बावत अधिकतम धुरी भार
32. यान अधिनियम के अध्याय 11 के अधीन विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र के अर्न्तगत आता है
 (कम्पनी का नाम) का बीमा प्रमाण-पत्र या कवर नोट सं.तारीखजो
सेविधिमान्य है।
33. यान को बीमा से छूट प्राप्त है। संगत आदेश संलग्न है
34. मैंने रुपये की विहित फीस का संदाय कर दिया है।
 तारीख.....

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी: ऊपर वर्णित मोटर यान :

- (1)के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार के अधीन है।
- (2)के पक्ष में किए गए आडमान के अधीन है।
- (3) अवक्रय करार या पट्टा करार के अधीन धारित नहीं है या आडमान के अधीन नहीं है।

* जो लागू नहीं उसे काट दें। यदि यान ऐसे किसी करार के अधीन है तो ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसके साथ ऐसा करार किया गया है, लिए जाएँगे।

उस वित्त पोषक के हस्ताक्षर जिसके साथ अवक्रय, पट्टा या आडमान करार किया गया है।

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मोटर यान निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियाँ सही हैं और यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

तारीख

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय पृष्ठांकन के लिए

निर्देश सं.

कार्यालय

उपर्युक्त मोटर यान कोरजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया गया है और उसे आवेदक के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और ऊपर निर्विष्ट वित्त पोषक के साथ किए गए अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन है।

तारीख.....

सेवा में,

वित्त पोषक

(रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाए)

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति और वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मूल आवेदन पर लिए जाने हैं जो प्ररूप 23 और प्ररूप 24 में चिपकाए जाएँगे और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से कार्यालय मुद्रा सहित अनुप्रमाणित किए जाएँगे कि मुद्रा या स्टाम्प और अनुप्रमाणन की छाप का कुछ भाग प्रत्येक हस्ताक्षर पर होना चाहिए।

वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर

(1)

(2)

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर

(1)

(2)